सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस सं0: 7467 / 1013 / 2017

दिनांक: 22.08.2017

श्री मनीष कुमार
पुत्र – कंधई लाल गुप्ता R3102
240, 4 कानपुर नगर
उत्तर प्रदेश – 208027

वादी

बनाम

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. R3103
द्वारा प्रबंध निदेशक
5वां तल, प्रगति मैदान, मैट्रो स्टेशन बिल्डिंग काम्प्लेक्स
नई दिल्ली – 110001

प्रतिवादी सं. 01

सलाहकार (जन शिकायत)
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय R3104
रेल भवन, नई दिल्ली ।

प्रतिवादी नं: 02

सुनवाई की तिथियाँ : 18.07.2017 एवं 16.08.2017

उपस्थित तिथि 16.08.2017 :

- श्री मनीष कुमार।
- श्री एस.के.पांडा, डी.जी.एम. / एच.आर., श्री हरी कृष्ण, ए.जी.एम. / एच.आर. श्री गिरीश कुमार, ए.एम., श्री के.शंकर, सलाहकार प्रतिवादी की ओर से।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता श्री मनीष कुमार, 50 प्रतिशत अस्थि बाधित ने डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. में Multi Tasking Staff पद पर भर्ती से संबंधित शिकायत – पत्र दिनांक रहित, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

2. वादी का अपनी शिकायत में कहना था कि उन्होंने डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. में Multi Tasking Staff की लिखित परीक्षा दिनांक 23.04.2016 को दी जिसमें वह उत्तीर्ण रहे, जिसके उपरांत वह दिनांक 21.12.2016 को शारीरिक परीक्षण के लिए निर्धारित समय पर पहुंचे किन्तु आयोजनकर्ता अधिकारियों द्वारा उनका शारीरिक परीक्षण नहीं लिया गया और कहा गया कि उक्त पद विकलांग अभ्यर्थी सुरक्षा मानकों के तहत योग्य नहीं है।

3. उक्त मामले को अध्ययन करने के बाद यह पाया गया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, निःशक्तता कार्य विभाग, जिसका नाम अब दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है के नोटिफिकेशन संख्या 16-15/2010-DD-III दिनांक 29.07.2013 के अनुसार Multi Tasking Staff का पद OA,OL,OAL, BL, LV एवं HH के लिए चिन्हित है। उपरोक्त मामले को दिनांक 24.03.2017 को डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोडोर ऑफ इंडिया लि. से लिया गया।

4. उप महाप्रबंधक/मानव संसाधन, डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. का अपने पत्र दिनांक 22.05.2017 में कहना था कि वर्ष 2016 में कुल 282 पदों (117 मल्टी टास्किगं स्टाफ सहित सिविल में ट्रेकमेन के 18 पद, परिचालन में गेटमेन के लिए 87, बिजली विभाग में हेल्पर के 07, सिंगनल एवं टेलीकॉम में हेल्पर के 05 पदों) की भर्ती की गई थी। प्रत्येक कोटियों में उचित निर्धारण के बाद भर्ती की गई थी। ट्रेकमेन और गेटमेन की कोटियों के लिए रेलवे बोर्ड नीति के अंतर्गत पत्र दिनांक 14.02.2014 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किसी भी पद को चिन्हित नहीं किया गया है जिसका डीएफसीसीआईएल ने पालन किया है।

5. प्रति उत्तर में वादी का कहना था कि डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 01/2016 में पैराग्राफ संख्या 7 नोट (III) में लिखा गया है कि PH disability should be in one arm only and more than 40%. Other types of disabilities are not acceptable for these posts. फिर कैसे कह सकते है कि एम.टी.एस. के पद दिव्यांगों के लिए योग्य नहीं है। क्यों प्रार्थी को लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र एवं शारीरिक परीक्षण हेतु बुलाया गया।

6. प्रतिवादी नं. 01 के पत्रों दिनांक 16.05.2017 एवं 22.05.2017 एवं वादी के पत्र दिनांक 30.05.2017 के मद्देनज़र दिनांक 18.07.2017 को सुनवाई रखी गई। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी नं: 01 की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने बताया कि वादी शारीरिक परीक्षण के दौरान अनुपस्थित थे जबकि वादी का कहना था कि वह उपस्थित थे, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, विपक्षी को निर्देश दिया गया कि वह बायोमेट्रिक का रिकोर्ड एवं अन्य सम्बन्धित तथ्य अगली सुनवाई दिनांक 16.08.2017 को प्रस्तुत करें।

7. दिनांक 16.08.2017 की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपना–अपना पक्ष रखा।

8. After hearing both the parties – the complainant as well as respondent and after scrutiny of the documents placed on record before this court, it was found beyond doubt that the complainant had appeared for physical test (PET) on the stipulated date and time, which is confirmed from the documents presented by the respondent in this regard. Further, it is revealed from the copy of the recruitment notice (Advt. No. 01/2016) posted on website (specifically against note under para 07 of the said recruitment notice) that the respondent expressly reflected in the advertisement that the PH disability should be one arm only and should be more than 40% which clearly indicates the intent of the respondent to consider the PwD candidates for the post of MTS as well and this message through the said advertisement is very clearly communicated for prospective persons with disabilities, applying for the post. It is further noted by this Court that stipulated reservation of 3% for PwDs was to be adhered to by the respondent in any case which is not followed by respondent in the present recruitment. The present complaint has reasonable ground for its sustenance and the complainant prima-facie has his rightful stake for seeking appointment for the post.

9. Finding clear violation on the part of the respondent in the present case as the respondents have not adhered to providing 3% reservation despite advertising, conducting exam and completing other formalities, this court, through this order directs the respondent to explore the feasibility to give appointment to the complainant on the post of MTS, subject to allocation of duties to the complainant as per the specific requirement of the job viz-a-viz the physical disability of the complainant in this case.

10. The case is accordingly disposed off.

(डॉ कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त